(2)

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :–782/2023–24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

जितवाहन स्वांसी.....................................आवेदक/विक्रेता } प्रथम पक्ष

गायत्री देवी..क्रेता

बनाम्

राज्य सरकार...द्वितीय पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
02.02.2024	**आदेश** आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती जितवाहन स्वांसी पिता/पति करमा स्वांसी ग्राम–पेलोल, पो0–बिचना, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:–	

भूमि का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
पेलोल(बिचना)	262	96	2068	0.10

आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती जितवाहन स्वांसी पिता/पति करमा स्वांसी ग्राम–पेलोल, पो0–बिचना, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी को मकान निर्माण कराने हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती गायत्री देवी पिता/पति चिको रवी ग्राम–लोबीन बगान डाक बंगला रोड, खूँटी, रोड नं0 1, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी को बिक्री करना चाहते/चाहती है।

आवेदक/आवेदिका अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान तथा लगान की रसीद सं0 0177892933 की छाया प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि की बिक्री में किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 26 दिनांक 20.01.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, मुरहू के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका के पूर्वजों की खतियानी भूमि है। खतियानी रैयत का नाम लादो शवासी वल्द दीदु पाहन है। आवेदक पंजी॥ रैयतों में से एक के पुत्र हैं। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी॥ के भाग सं0 1 के पृष्ट सं0 185 पर जमावंदी दर्ज है।

आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही जिला खूँटी के निवासी है एवं एक ही जाति (अनुसूचित जाति समुदाय) के सदस्य है। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कराने हेतु बिक्री करना चाहते है।

अंचल अधिकारी, मुरहू के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य है एवं एक ही जिला खूँटी के निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता दोनो की ओर से एक जिला के निवासी होने एवं अनुसूचित जाति के सदस्य होने के प्रमाण मे शपथ पत्र संख्या 604 दिनांक 19.01.2024 के साथ अंचल अधिकारी, लोहरदगा के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं0– JHCSC/2023/105076 दिनांक 18.10.2023 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र सं0– JHRC/2023/332935 दिनांक 17.10.2023 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा एक ही थाना के निवासी है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदित भूमि की विक्री हेतु अनुशंसा किया हैं।

अतः अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 26 दिनांक 20.01.2024 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती जितवाहन स्वांसी पिता/पति करमा स्वांसी ग्राम–पेलोल, पो0–बिचना, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती गायत्री देवी पिता/पति चिको रबी ग्राम–लोबीन, बगान डाक बंगला रोड, खूँटी, रोड नं0 1, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी के साथ ग्राम बिचना के खाता सं0 96, खेसरा संख्या 2068, कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

Digitally signed by Emart
Date: 2024.04.02 11:59:23 +05:30
Location: 192.168.1.104